

प्रेषक,

महेन्द्र कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ०प्र०, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 08 सितम्बर, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु डा०राम मनोहर लोहिया योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी०सी०रोड/के०सी०ड्रेन निर्माण हेतु अनुदान संख्या-14(सामान्य) के अन्तर्गत धनराशि आवंटित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5/3256/2016-5/99/2016 दिनांक 05 सितम्बर, 2016 के संदर्भ में समग्र ग्राम विकास विभाग के शासनादेश संख्या-447/66-2012-05/2012, दिनांक 17-05-2012 एवं डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत आंतरिक गलियों एवं नालियों के निर्माण के संबंध में पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1266/33-2-2012-4आर०डी०/12, दिनांक 13 जून, 2012 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंध एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या- 14 के अन्तर्गत 2016-17 में अनुपूर्क बजट के माध्यम से उक्त योजना के लिए प्राविधानित 400.00 लाख में से जनपद-बदायूं के लिए रु. 90.00 लाख एवं जनपद-हरदोई हेतु रु 10.00 लाख कुल रु 100.00 (रु० एक करोड मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी०सी०रोड एवं के०सी०ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग टाइल्स के निर्माण हेतु वर्ष 2016-17 में प्राविधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व निदेशक, पंचायती राज स्वयं अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

(3) निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2016-17 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/ उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 एवं डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपॉजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल. पद्धति से व्यय करेंगे। अष्टिठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष " 1054'सडक तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियों -01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्त लेखा शीर्षक" 0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम -800-अन्य प्राप्तियों -02-प्रतिशतता प्रभारी की वसूली " में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र० द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपदवार फॉट के कालम संख्या- 10 में अंकित धनराशि रु 0.186 लाख निदेशक, पंचायती राज कार्यालय स्तर पर आहरित की जायेगी, अवशेष धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आहरित कर सभी संबंधित को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-14 के "लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पंचायती राज-06-सी०सी०रोड एवं के०सी०ड्रेन

तथा इण्टर लार्किंग टाइल्स की व्यवस्था- 24-बृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(7) सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मित-1/2007

दिनांक 2-9-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(9) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(10) जनपद स्तर पर निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त कार्य एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होते हुए अगले 02 माह के लिए धनराशि नोडल अधिकारी/ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। नोडल अधिकारी द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार कार्य तथा धनराशि आवंटित होने के सापेक्ष कार्यों की स्थलीय निरीक्षण की प्रगति रिपोर्ट प्रति माह शासन को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाय।

(12) उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर निदेशक, पंचायती राज स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होंगे। साथ ही साथ जनपदवार फॉट के सही होने का दायित्व भी निदेशक, पंचायती राज का होगा।

2- यह ओदश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में प्राप्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उ0प्र0शासन।
- 3- आयुक्त, वाराणसी/लखनऊ/ कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत कार्य का तैयार माइलस्टोन के अनुसार 02 अक्टूबर 2016 तक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें तथा विकास कार्यों की समीक्षा हेतु नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से निर्माण कार्यों की निर्धारित मानक के अनुसार भौतिक सत्यापन कराकर प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 4- निदेशक एवं मुख्य मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, गाजीपुर, सीतापुर व औरैया।
- 6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कलेक्ट्रेट लखनऊ।
- 7- मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर, सीतापुर व औरैया।
- 8- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ,लखनऊ।
- 9- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
- 10- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)

उप सचिव।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 हेतु चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड के साथ नाली या के0सी0ड्रेन निर्माण हेतु आवंटन

हेतु प्रस्तावित धनराशि

अनुदान संख्या-14

(धनराशि लाख में)

क्र. स.	जनपद का नाम	जिन ग्रामों को धनराशि दी जानी है उनकी संख्या	कार्यदायी संस्था/ जिलाधिकारी द्वारा कार्य योजना में अनुदान संख्या-83 के अनुसार कुल मांग	अनुदान संख्या-83 में जनपद को दिये गए धनराशि	शेष आवश्यकता	आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि			कालम संख्या-7 के सापेक्ष कार्यालय व्यय/कन्टीजेन्सी हेतु 02 प्रतिशत धनराशि का फॉट							सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन हेतु वास्तविक प्रस्तावित धनराशि (7-16)
						सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन का निर्माण (कार्यान्वयन) 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी सहित	अधिष्ठा न अंश 6.875 प्रतिशत की धनराशि	कुल योग	पंचायती राज निदेशालय स्तर पर (0.20 प्रतिशत)	आर.ई.एस. हेतु जनपद स्तर पर (1.50 प्रतिशत)	मण्डलीय उपनिदेश क (पं0) स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	सहायक विकास अधिकारी कार्यालय स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	कालम संख्या 11+12+13+14 का योग	कुल योग (कालम 10+15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	बदायूं	4	90.000	0.000	90.000	83.812	6.188	90.000	0.168	1.257	0.084	0.084	0.084	1.509	1.676	82.136
2	हरदोई	19	10.000	0.000	10.000	9.313	0.687	10.000	0.019	0.140	0.009	0.009	0.009	0.168	0.186	9.127
कुल		23	100.000	0.000	100.00	93.125	6.875	100.00	0.186	1.397	0.093	0.093	0.093	1.676	1.863	91.263

(रूपया एक करोड़ रूपये मात्र)

नोट: कालम संख्या-10 की धनराशि निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 तथा कालम संख्या- 8, 15 व 17 में इंगित धनराशि जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जायेगी।